फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

ईशरराम बनाम घडसीराम आदि

किस्म मुकदमा ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 825/19 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
0611.2019	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10.12.2019 को पेश हो।	
10/12/19	पत्रावली पेश हुई श्री ... के ओ. साहब ..... पत्रावली दि० ..... को पेश हो। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तामीली हेतु सम्मन पेश नहीं किए, अतः आवश्यक तारे से देश कर पत्रावली दि 31/12/19 को पेश हो	
31/12/19	पत्रावली पेश हुई श्रीमान ए.डी.ओ. साहब अन्य कार्य पर व श्री ... वादी उपस्थित प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। पत्रावली दि० 24/1/20 को पेश हो	
1/1/20	वकील वादी व स्वयं वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी में ली गई वादी व निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी का आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिये वादी वाद नहीं चलाना चाहता है वाद वादी स्वारिज फरमाते। वादी के द्वारा अपना वाद नहीं चलाने के कारण वाद वादी स्वारिज किया जाता है पत्रावली दारिफ दफ्तर हो आदेश वास्ते रजिस्टर सुनाया।	२२१२२१म

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner